

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक : एफ. 6(6)/एफ. डी./रुल्स/2010 दिनांक 25.04.2012, 17.08.2016 एवं 30.05.2022 के अंतर्गत मेडिकल बोर्ड, सामान्य चिकित्सालय, राजस्थान के Certificate no.-SAP/2018/953004 Date: 09/07/2018 की अभिशंषा के आधार पर श्री मोहनलाल मीना, व्याख्याता-भूगोल, राउमावि उदगाँव, बौली, रावाईमाधोपुर, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पं.स. बौली, रावाईमाधोपुर को कार्यालय में पूर्ण प्रकरण प्राप्त होने की दिनांक : 28.08.2023 से उनके मूल वेतन का छः(6) प्रतिशत किन्तु जो 1200/- (एक हजार दो सौ रुपये) प्रतिमाह से अधिक ना हो, मासिक विकलांग वाहन भत्ता स्वीकृत किया जाता है।

श्री मोहनलाल मीना को आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों यथा ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, मध्यावधि, दशहरा, दीपावली के अवकाशों, स्थानान्तरण/पदोन्नति एवं अन्य किसी कारण कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि का तथा लम्बित अवधि का विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/विकलांग वाहन भत्ता/2018/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक 05/09/2023

1. संबंधित कोषाधिकारी, कोष कार्यालय.....।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा.....।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
4. संबंधित प्रधानाचार्य.....।
5. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
6. रक्षित पत्रावली/गार्ड फंजिका।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Arvind Kumar
Vyas
Designation : Joint Director Personnel
Date: 2023.09.05 05:47:05 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4650187

